[Prof. Sher Singh]

with a view to augmenting the sugar production, and

(d) persuading the public to observe austerity and avoid wastage during the current period of acute scarcity of sugar

The Government of India have already initiated measures accordingly and subject to the full and active co-operation of all the State Governments it is hoped that the present situation would be got over as early as possible The Hon'ble Members would have seen reports in the Press about the results of the raids conducted in Delhi during the last two days, and it is expected that other State Governments will also take similar action to deal with hoarders, as already requested by us. I am also hoping that it should be possible to announce the new sugar and sugarcane policy for 1972-73 before the session ends

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरैना) : सभापति महोदय, इस पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाय । बडे महत्व का वक्तव्य सामने रखा गया है ।

सभापति महोदय : मैं एलाऊ नही कर रहा हूं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : चीनी मंहगी हो रही है, दाम बढ रहे हैं ...

MR. CHAIRMAN: Half an hour discussion

SHRI K NARAYANA RAO (Bobbili): There should be a discussion on this

MR CHAIRMAN: Let him write to the Speaker.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस स्टेटमेन्ट को सर्कुलेट करा दीजिये ।

MR CHAIRMAN: Yes, it should be circulated.

16.46 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

BONUS BY SUGAR MILLS IN MADHYA PRADESH

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, दिनांक 13-4-72 को एक प्रश्न के उत्तर में शुगर मिलो द्वारा दिये जाने वाले बोनस के सम्बन्ध मे यह बहस उठाई गई है । माननीय मन्त्री जी ने उस समय उत्तर देते हुए कुछ आकडे प्रस्तुत किये थे, जिन से पता चलता है कि विभिन्न मिलो द्वारा किन किन वर्षों में किस प्रकार से बोनस दिया है । अभी माननीय मन्त्री जी अपना चौथा सम्बन्धी वक्तव्य रख रहे थे, उस मे कुछ शुगर मिलो की कठिनाइयो तथा सरकार की शुगर नीति के बारे में उल्लेख किया है । सदन में इस के पहले भी शुगर नीति के बारे मे बहुत कुछ कहा गया है, शुगर मिल मालिको के बारे मे भी यहा पर बहुत कुछ कहा गया है, किन्तु जहा तक श्रमिको का सम्बन्ध है, जहा तक किसानो का सम्बन्ध है, शायद हमारे मन्त्री जी का ध्यान उस तरफ नही जाता । शुगर मिल मालिक जब-तक अपनी कठिनाइया बतला कर, गन्ने का भाव बढाने की बात कह कर, गन्ने के उत्पादन मे गिरावट होने के कारण तथा रिकवरी अगर कम मिलता है तो उस के कारणो को लेकर शुगर की कीमत बढाने के बारे में चर्चा करते रहे हैं और सरकार भी सहमत हो जाती रही है । यही कारण है कि चीनी की कीमत काफी बढी है, लेकिन मजदूरो को मिलनेवाला जो बोनस है, जिस के बारे मे कहा जाता रहा है कि उस को 8 33 प्रतिशत कर दिया जाय, उस पर हमारी सरकार गम्भीरता से विचार करने के लिये तैयार नही है ।

शुगर मिलें सीजनल फैक्ट्रीज हैं और कई मिलें तो कुछ ही दिन चल पाती हैं । कुछ मिलें महीना भर चलती हैं, कुछ डेढ़ महीना चलती हैं, कुछ मिलें 60 दिन भी नही चल पाती, जो कि बोनस प्राप्त करने के लिये न्यूनतम आवश्यकता है, जिस का नतीजा यह होता है कि श्रमिको का जो अधिकार है, उस से वह वंचित रह जाता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में यह बताने की कृपा करें कि ऐसे श्रमिकों को बोनस दिलाने के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं ?

बोनस के बारे में जो मूल भावना है, वह यह है कि श्रमिक साल भर तक काम करता है, इस लिये उस को कुछ अतिरिक्त मिल सके। उस के परिश्रम के बदले में उसे कुछ अवश्य मिले तथा महगाई को भी उस में जोड़ लिया जाय, दिन प्रति दिन बढ़नेवाली कीमतों को भी उस में जोड़ लिया जाय, तथा इन सब के आधार पर उस को कुछ अतिरिक्त मिले। इसी आधार पर बोनस का प्रतिशत तय किया गया था और 4 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की बात कही गई थी। अब उस को बढ़ा कर 8.33 प्रतिशत की बात कही जाती है, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है।

कुछ मिलें ऐसी हैं जिन के नाम यहां पर हैं, जिन में जावरा शुगर मिल, सेठ गोविन्द राम सोदा शुगर मिल, डाबरा का शुगर मिल, इन कुछ मिलों ने तो 1969-70 में भी कोई बोनस नहीं दिया है तथा मोतीदपुर शुगर मिल 1969-70 में ही नहीं, इसके पूर्व भी डिफाल्टर रही है। आप कह सकते हैं कि यह राज्य सरकार का विषय है, वे इस के लिये सक्षम हैं, वे कोई कानूनी कार्यवाही करें। लेकिन राज्य सरकारें कानूनी कार्यवाही नहीं करती हैं, और यही कारण है कि यह प्रश्न यहां उठाना पड़ा। राज्य सरकारों को आप बाध्य तो कर सकते हैं। यदि आप श्रम कानूनों का निर्धारण करते हैं और बोनस की पद्धति तय करते हैं तो संरक्षण का अधिकार भी आप का ही है कि श्रमिकों को आप ने जो निर्धारित किया है उस के मुताबिक बोनस मिल रहा है कि नहीं। इन में कुछ मिल ऐसी हैं जो प्रीवाडेंट फंड की रकम भी नहीं देतीं और एक प्रकार से उस रकम को हजम कर के बैठी हैं। तो जिन को बोनस मिलना चाहिये उन को नहीं देते, और देने की बात भी नहीं करते। जैसा कि मैंने आप को कहा, राज्य सरकारें इन डिफाल्टर्स के बारे में कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश देने की कृपा करेंगे ताकि उन को पता चल सके कि जो कार्यवाही उन को करनी चाहिये थी वह कार्यवाही क्यों नहीं की।

एक तरफ़ हमारे सामने मिल मालिक बहाना ले कर आते हैं कि हमारी मिल 60 दिन से कम चली, और कम इसलिये चली कि गन्ने का उत्पादन कम हुआ। और उत्पादन क्यों कम हुआ इस के लिये आप एक इनक्वायरी कमेटी बैठाते हैं, जैसा कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स" अखबार के 1 नवम्बर, 1971 के इश्यू में निकला है :

"The Union Govt. has constituted a highpower Sugar Industry Inquiry Commission to go into the question of decline in sugar yields and recovery."

अब उस के लिये हाई पावर कमेटी बैठा रहे हैं कि आखिर क्यों रिकवरी कम हो रही है। इस के नाम पर वह अपनी मिलें कम चलाते हैं, या मजदूरों को परेशान कर के उन के बोनस के अधिकार को भी मारने की चेष्टा करते हैं। फिर चाहे महाराष्ट्र के मंत्री हों या केन्द्र के मंत्री हों यह जरूर कहेंगे, जैसा कि "टाइम्स आफ़ इंडिया" 18 अप्रैल, 1972 के इश्यू में लिखा है, कि महाराष्ट्र के इर्रीगेशन और पावर मंत्री, श्री वसन्त राव पाटिल ने कहा है :

"Along with the sugar producers, he said, workers, consumers, the capital invested, and the nation as a whole should equally benefit from the production of increased wealth in the form of sugar and that produced by the agriculture-produce processing industries."

मेरा इतना ही कहना है कि जब वह यह आप मानते हैं कि वर्कर्स को उस का बेनीफ़िट मिलना चाहिये, और समान रूप से उन को उस का भागीदार बनना चाहिये। समान रूप से कब भागीदार बनेंगे, मैं नहीं कह सकता, शायद सरकार उस स्थिति में आवे कि नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत उस को मिलना चाहिये, वह भी नहीं मिल रहा है। जब आप पौलिसी के रूप में तय करते हैं कि वर्कर्स को समानता का लाभ मिलना चाहिये, उस लाभ के अन्दर उन को भागीदार होना चाहिये, फिर आप उस को अमल में लाने के लिये क्यों नहीं मिल मालिकों

[श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

को मजबूर करते हैं । यदि मजदूर लाभ में समान रूप से भागीदार होता है तो मैं समझता हूं कि आज जो डिफलाइन वाली बात है, कम रिकवरी की बात है, वह खत्म हो सकती है । यदि मजदूरों को ठीक से वेजेज और समय पर बोनस मिलता है तो किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी । अभी होता यह है कि समय पर मजदूरों को बोनस न मिलने के कारण उन में असंतोष है जिस का परिणाम यह हो सकता है कि शक्कर के उत्पादन में गिरावट आती है । फिर आप चाहे जो भी टारगेट रखें कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, 1973-74 में हमारा प्रोडक्शन 42 लाख टन हो जायगा, चाहे जितने अफेंड आप रखें, वह कभी पूरे नहीं होंगे । इसलिये मजदूरों को संतुष्ट रखना सब से आवश्यक बात है ।

शुगर मिल्स में जो सीजनल कर्मचारी हैं उन के बारे में बोनस की कोई नियमित पद्धति नहीं है । अगर फैक्ट्री ने 60 दिन काम नहीं किया तो सीजनल कर्मचारियों को बोनस पाने का अधिकार नहीं है । यह ठीक नहीं है । इसमें संशोधन जरूरी है । साथ ही मैं चाहता हूं कि जितनी भी मिलें हैं जिन्होंने कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया है उन के खिलाफ राज्य सरकारों को आदेश दें ताकि वह बोनस का भुगतान करें, और जो डिफाल्टर्स हैं उन के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिये । राज्य सरकारों को आप ऐसा निर्देश दे सकते हैं कि जिन्होंने अभी तक भुगतान बोनस का नहीं किया है वह जल्दी से मजदूरों का बोनस दें । मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में 4 परसेंट वाली बात ठीक नहीं लगती । सभी ओर से लोग चाहते हैं कि बोनस के प्रतिशत को बढ़ाया जाना चाहिये, बोनस बढ़ना चाहिये । हो सकता है किसी एक मिल ने ऐक्शन-प्रेशिया एक परसेंट बोनस अधिक दे दिया हो, या किसी मिल ने चार की जगह पांच परसेंट दे दिया हो, तो उस से कुछ नहीं होता । सभी मिलों की स्थिति देखी जाय तो आप पायेंगे कि उन की चूक रही है, और इस के लिये राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार दोषी हैं कि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता बरती है ।

शुगर मिल्स के जो सीजनल वर्कर्स हैं उन के बारे में नियमित पद्धति बनायी जाय कि 60 दिन की अवधि पूरी हो या न हो तो भी उन को बोनस के रूप में अतिरिक्त धनराशि मिले ताकि इस समय जब कि चीनी के दाम बढ़ाने की बात करते हैं तो मजदूरों की भी मजदूरी बढ़े और ठीक समय पर उन को देय धनराशियों का भुगतान हो ।

SHRI D K. PANDA (Bhanjanagar) The Union Labour Minister has already made a declaration that for all the industries the minimum bonus should under no circumstances be less than 8 33 per cent That declaration was made long ago But in sugar mills numbering 267 in India, we find that actually not more than four per cent bonus had been paid by the employers to the workmen

In the matter of bonus the sugar industry workmen had been neglected In Orissa I should tell you, Sir, that even that four per cent has not been paid for two years and it is only this year they have paid the bonus for the years 1969-70 and 1970-71 The sugar magnates have already earned enormous profits because of the rise in sugar prices Why should not a direction be given by the Centre to the mills and also instructions to the State Governments that the minimum 8 33 per cent of bonus should be given to the workers in the sugar industry, including Madhya Pradesh?

श्री हुकम चन्द कछवाय : श्रीमन्, हम को भी बोलने का समय दिया जाय ।

सभापति महोदय : आप का नाम नहीं है, जिन का नाम है उन्हीं को समय देंगे । नियम के मुताबिक जिन का नाम लिस्ट पर आता है उन्हीं को हम पुकारते हैं । हमारे पास आप का नाम नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप अपने कार्यालय से पूछ लीजिये, हम ने अपना नाम भेजा है ।

सभापति महोदय : 12.55 पर आप का नाम आया था, जब कि 11.00 बजे आना चाहिये था।

17.00 hrs.

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : सभापति जी, डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय का मैं आदर करता हूं, और जब आधे घंटे के डिस्कशन के बारे में मेरे सामने पेपर लाये गये तो मुझे आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से यह प्रश्न, जिस का इस में जिक्र है, प्रश्न संख्या 2767, इस के ऊपर कैसे आधे घंटे की चर्चा माननीय सदस्य लाये। जो इन्हों ने नोट दिया है उस में उन्हों ने कहा है कि मन्त्री जी से यह जवाब मिला है कि जावरा शुगर मिल ने 1970-71 का बोनस दे दिया है। मैं आप की अनुमति से उनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि वह बतायें कि प्रश्न में किस जगह पर यह जवाब मैंने दिया है कि 1970-71 में बोनस जावरा शुगर मिल ने दे दिया है? और यदि नहीं तो मुझे आश्चर्य है कि जो हम जवाब देते हैं उस को माननीय सदस्य पढ़ते भी हैं कि नहीं।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : सभापति महोदय, उस दिन का उत्तर मगवा लिया जाय तो पता लग जायेगा।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मेरे पास उत्तर मौजूद है। अगर आप चाहें तो मैं सुना दूं।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मेरे पास भी है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैं ने कहा है कि जावरा शुगर मिल ने 1967-68, 1968-69 का बोनस दिया है। इस तरह से जो बात मैंने कतई नहीं कही उस पर बहस उठाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि 1970-71 का बोनस दिया है और लेबर कमिश्नर कहते हैं कि नहीं दिया है। इस के ऊपर उन्होंने इस इश्यू को उठाया है। यह एक बड़ी अजीब सी बात है जिस को मैं समझ नहीं पाया कि किस प्रकार से हाफ ऐन अवर डिस्कशन का विषय बना है। उस वक्त मैंने जो भी तथ्य दिये थे वह स्टेट लेबर कमिश्नर की सूचना के आधार पर दिये थे। लेकिन जो प्रश्न आप ने उठाया है उस के बारे में मैंने कभी नहीं कहा। लेबर कमिश्नर ने मुझे यह भी बतलाया है कि जावरा शुगर मिल्स को 30 जून, 1972 तक बोनस दे देना चाहिये था। मुझे इस के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है कि वह मिला है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : नहीं मिला है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : मैंने कहा कि लेबर कमिश्नर से मुझे कोई सूचना नहीं मिली है कि दिया है या नहीं दिया है। यूनियन्स को चाहिये कि वह स्टेट गवर्नमेंट के पास इस बात को ले कर जायं और उन को मिल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये बाध्य करें। शुगर मिलों के बारे में स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट अथारिटी है और वही कार्रवाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर सकती। अच्छा होता यदि माननीय सदस्य इस बात को मध्य प्रदेश सरकार से उठाते ताकि कार्रवाई की जा सकती।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैंने यही निवेदन किया कि स्टेट गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की इस लिये आप के पास आना पड़ा। आप उन से कहें कि वह कार्रवाई करें।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : कोई भी मिल यूनियन इस प्रश्न को उठा सकती है। पेमेंट आफ बोनस ऐक्ट जो 1965 का है उसकी धारा 19 बी० के अन्तर्गत मिल को आठ महीने के भीतर बोनस दे देना चाहिये। अगर नहीं दिया है तो उस का प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है और राज्य सरकार उस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसलिये मैं कहता हूं कि लेबर यूनियन को इस मसले को राज्य सरकार के पास ले जाना चाहिये।

इस के बाद श्री डी० के० पंडा ने एक प्रश्न उठाया कि उन के यहां भी मिलों में बोनस नहीं दिया गया।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : मैंने दूसरा प्रश्न भी उठाया था । राज्य सरकार ने उस के सम्बन्ध में भी कोई कार्रवाई नहीं की है । इस का प्रमाण यह है कि 1969-70 और 1970-71 में जो दरोगा शुगर मिल है वह डिफाल्टर रही लेकिन डिफाल्टर मानने पर भी उस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है । अगर की जाती तो मंत्री महोदय के पास उस की सूचना होती ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इसीलिये मैं कहता हूं कि आप को इस मामले को राज्य सरकार को नोटिस में लाना चाहिये । आप यूनियन से कहें जिस के द्वारा आप को सूचना मिली है, कि वह राज्य सरकार के पास इस मसले को ले जायें । लेकिन इस मसले में स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं कर सकती । इस में मैं यही राय दे सकता हूं कि वह वहां जा कर इस मसले को सरकार के साथ उठायें ।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो उन को लिख सकते हैं ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : वह तो हम लिखेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि आप वहां खुद उठायें ।

श्री डी० के० पंडा ने जो कुछ कहा है उस के बारे में मैं कह सकता हूं कि...

SHRI D. K. PANDA: I cannot understand Hindi.

MR. CHAIRMAN: He can hear the translation.

SHRI BALGOVIND VERMA: Mr. Panda said that the mills in his State have not paid bonus for the last four years and only this year they have paid some bonus. There are specific rules in regard to this matter. If they have not been paid, I think the State Government should have taken action.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobilli): The State Government passes on the buck to the Central Government and the Central Government passes on the buck to the State Government, although the Essential Commodities Act and Bonus Act are Central Acts.

SHRI BALGOVIND VERMA: So far as sugar mills and labour problems in sugar mills are concerned, they are the responsibility of the State Government.

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : एक्ट आपका है । इसके तहत अगर राज्य सरकार काम नहीं करती तो आप कार्रवाई कर सकते हैं । यह केन्द्रीय कानून है, राज्य सरकार का कानून नहीं है ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : इस कानून को राज्य सरकारों द्वारा ही बरता जाता है । इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है ।

SHRI D. K. PANDA: May I know whether the Central Government is going to send some instructions to the State Governments for implementation of this formula?

SHRI BALGOVIND VERMA: I will draw the attention of the State Governments, so far as the bonus is concerned.

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सीजनल फैक्ट्री होने के कारण वहां के श्रमिकों को बोनस नहीं मिल पाता है । साठ दिन पूरा वे काम नहीं कर पाते हैं ।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जो नियम है उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं ।

17.06 hrs.

MOTION *RE.* CONTEMPT OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): As the House is aware, there were some incidents this afternoon. As a result of that, in consultation with members of this House, I beg to move:

> "This House resolves that the persons calling themselves (1) Siphai Rai and (2) Ram Janam Singh, who shouted and threw some leaflets from the Visitors' Gallery on the floor of the House at 15.05 hours today and whom the Watch and Ward Officer took into custody immediately, have committed a grave offence and are guilty of the contempt of this House.